



महिलाओं के लिए रोजगार-सह-अयोत्पादक इकाई स्थापित करना (नोराड)

उद्देश्य:-

महिलाओं को प्रशिक्षित करना, अधिमानतः गैर परम्परागत क्षेत्रों में उन्हें प्रशिक्षण देना तथा महिलाओं की रोजगार सुनिश्चित करना।

कार्य:-

इस योजनान्तर्गत महिलाओं को पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनके लिए इन क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

कार्यान्वयन :

यह योजना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 अथवा राज्य सरकार के समतुल्य अधिनियम के तहत पंजीकृत हो।

लाभान्वित:

शहरी झोपड़पट्टियों तथा ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन और जरूरतमंद महिलाएं तथा समाज के कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं।

चयन की प्रक्रिया :

प्रपत्र के माध्यम से स्वयं सेवी संगठन के द्वारा आवेदन प्राप्त किया जाता है।